न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : जितेन्द्र ओझा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **184/16 (वाद)**

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

......वादी

बनाम्

1. श्री धन्ना पिता परथा बलाई निवासी बिकरणी तह. मावली।
2. श्री सवा पिता भगा डांगी निवासी बिकरणी तह. मावली।
3. श्री लोगर लाल पिता नारू डांगी निवासी बिकरणी तह. मावली।

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित—1. श्री राजपेरोकार मावली, वादी।
2. श्री हिरालाल बुनकर, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1।
3. श्री शंकरलाल डांगी, प्रतिवादी सं. 3।

वाद अन्तर्गत धारा 175, 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 20.04.2018

1. वादी राजपेरोकार द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 175, 177 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बिकरणी की आराजी नम्बर 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1333, 1334, 1335, 1336 किता 9 रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा। उक्त आराजीयात के साबिक आराजी नम्बर 220/1—क रकबा 2 बीघा, आराजी नम्बर 567 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा हैं। उक्त आराजीयात राजस्व रेकार्ड में विपक्षी नम्बर 1 धन्ना पिता परथा बलाई के नाम दर्ज हैं जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति हैं। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 42 के अनुसार अनुसूचित जाति के व्यक्ति को अपनी आराजी को अनुसूचित जाति के अलावा अन्य जाति के व्यक्ति को हस्तान्तरण करने पर प्रतिबन्ध लगा हुआ हैं।
2. जिला कलक्टर उदयपुर के यहां सर्तकता में शिकायत होने पर उक्त आराजीयात के समबन्ध में जांच कराई गई, जिस पर पटवारी हल्का विजनवास व निरीक्षक, भू—अभिलेख खेमली द्वारा मौके पर जाकर जांच की व परचा मौका बनाया गया, जिसमें यह तथ्य उजागर हुए है कि उक्त आराजी जमाबन्दी में खातेदार की हैसियत से धन्ना पिता परथा बलाई विपक्षी नम्बर 1 के नाम दर्ज है तथा कब्जा सवा पिता भग्गा डांगी विपक्षी नम्बर 2 का है तथा इस कार्यवाही के दौरान यह भी ज्ञात हुआ है कि उक्त आराजी खातेदार धन्ना बलाई विपक्षी नम्बर 1 द्वारा विपक्षी नम्बर 2 को विक्रय कर दी गई हैं।

3. विपक्षी नम्बर 1 जाति बलाई होकर अनुसूचित जाति का व्यक्ति है तथा विपक्षी नम्बर 2 जाति से डांगी होकर अन्य पिछडा वर्ग का व्यक्ति है जिससे विपक्षी नम्बर 1 द्वारा विपक्षी नम्बर 2 को किया गया विक्रय धारा 42 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के विरूद्व है जो अवैध हस्तान्तरण है तथा विपक्षीगण 2 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं। विपक्षी नम्बर 2 का कब्जा नाजायज हैं। धारा 175 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रावधान के अनुसार उक्त आराजी से विपक्षी नम्बर 1 को बेदखल कर कब्जा प्रार्थी प्राप्त करने कर अधिकारी हैं।

4. बिनाय मुखास्मत तारीख 11.07.2016 को पैदा हुई जबकि पटवारी हल्का विजनवास व निरीक्षक भू–अभिलेख खेमली द्वारा जांच करने पर उक्त अवैध हस्तान्तरण की जानकारी हुई। अतः प्रार्थना है कि विपक्षीगण को उक्त आराजी से बेदखल किया जाकर सरकार की तहवील में लिवाया जावें तथा उक्त आराजी राजस्व रेकार्ड में बिलानाम अंकित कराये जाने का ओदश बक्षाया जावें।

5. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गयें। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा नियत समय में जवाब प्रस्तुत नही करने पर जवाब का अवसर बन्द किया गया। प्रकरण में प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा.दी. का स्वीकार किया जाने से श्री लोगर पिता नारू डांगी को प्रतिवादी सं. 3 के रूप में पक्षकार बनाया गया। प्रकरण में प्रतिवादी सं. 3 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त आराजीयात राजस्व रेकार्ड में विपक्षी नम्बर 1 धन्ना पिता परथा बलाई के नाम दर्ज है जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति है उक्त आराजीयात पर धना पिता परथा बलाई का कब्जा नहीं हैं।

6. माननीय न्यायालय उप जिला कलेक्टर वल्लभनगर में तहसीलदार मावली द्वारा विपक्षीगण श्री धना पिता परथा बलाई व श्री सवा पिता भगा डांगी के विरूद्व आराजी नम्बर 1327 से 1331 व 1333 से 1336 कुल किता 9 रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा के सम्बन्ध में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175, 177 आर.टी.एक्ट. के तहत् प्रस्तुत किया गया था जो निर्णित हो गया था। मौजा विकरणी के साबिक आराजी नम्बर 2201/क 2 बीघा व आराजी नम्बर 567 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा कुल रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा जिसके हाल आराजी संख्या 1327 से 1331 व 1333 से 1336 कुल किता 9 कुल रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा के सम्बन्ध में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175, 177 आर.टी.एक्ट के तहत् तहसीलदार मावली के द्वारा उपजिलाधीश वल्लभनगर के यहां एक आवेदन दिनांक 12.04.1967 प्रस्तुत

किया की उक्त भूमि को दिनांक 17.02.1963 को खातेदार परथा व धना बलाई ने श्री सवा पिता भगा जी डांगी निवासी विकरणी को बेची है व आर.टी.एक्ट की धारा 42 के विरूद्व उक्त विक्रय पत्र को मानते हुए अनुसूचित जाति के परथा व धना ने स्वर्ण जाति के सवा पिता भगा डांगी को विक्रय करने से भूमि को खातेदार धना व परथा का नाम हटाया जाकर राजकीय बिलानाम दर्ज करने का आदेश दिनांक 29.04.1969 को उपजिलाधीश वल्लभनगर के द्वारा पारित किया गया था जिसके प्रकरण सं. 28/1969 प्रार्थना पत्र हैं। जिसके विरूद्व श्री सवा पिता भगा डांगी निवासी विकरणी ने अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत की जो दिनांक 23.06.1970 को निरस्त कर दी जिसके प्रकरण संख्या 176/1969 अ.डि. हैं। माननीय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के निर्णय दिनांक 23.06.1970 के विरूद्व श्री सवा पिता भगा डांगी ने राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के यहां द्वितीय अपील दिनांक 14.10.1970 को प्रस्तुत की जिसके प्रकरण सं. 46/71/अपील/टी.ए./जिला उदयपुर व अनवान सवा बनाम सरकार थे। उक्त द्वितीय अपील दिनांक 07.02.1974 को इस आदेशिका के साथ खारिज कर दी की "यह पत्रावली निबन्धक महोदय के यहां आदेशार्थ पेश हुई आवाजे दिलाई गई अपीलान्ट या उनके वकील बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं अतः यह अपील अपीलान्ट अदम हाजरी में खारिज की जाती है विद्वान गोरमेन्ट एडवोकेट उपस्थित हैं" इस तरीके से उक्त अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के द्वारा खारिज फरमा दी गई। उक्त राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में दिनांक 07.02.1974 को अपील हाजरी में निरस्त हो गई व माननीय उपजिलाधीश वल्लभनगर का आदेश दिनांक 29.4.1969 आज ही प्रभावी हैं जिसकी पालना में राजस्व अभिलेखों में खातेदार धना पिता परथा का नाम हटाया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किया जाना था लेकिन आज तक उक्त मामलें में कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है तथा भूमि वर्तमान में भी धना पिता परथा बलाई के नाम बदस्तुर चली आ रही है जबकि माननीय उपजिलाधीश वल्लभनगर के आदेश की पालना में खातेदार श्री धना पिता परथा बलाई का नाम हटाया जाकर बिलाना दर्ज करने के आदेश कर रखें हैं लेकिन तहसीलदार मावली ने उनके नाम हटाने की कोई कार्यवाही नहीं कीं जिस पर मुझ विपक्षी सं. 3 द्वारा दिनांक 11.12.2013 को उक्त निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतु उप जिला कलेक्टर मावली को प्रार्थना पत्र जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रेषित किया गया जिस पर कोई कार्यवाही नहीं होने से दिनांक 26.09.2014 को माननीय जिला कलेक्टर

महोदय सर्तकता उदयपुर के कार्यालय में प्रार्थना पत्र पेश किया व पूर्व में पारित निर्णय की प्रतियां पेश की। मुझ विपक्षी सं. 3 द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 26.09.2014 के सम्बन्ध मे की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचना के अधिकार के तहत् सम्पूर्ण पत्रावली प्रमाणित प्रति प्राप्त की जिस पर मुझ विपक्षी सं. 3 को ज्ञात हुआ कि मेरे द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही हेतु श्रीमान् जिला कलेक्टर सर्तकता उदयपुर के पत्र क्रमांक सर्तकता वी पी. जी/2014/492 दिनांक 30.09.2014 तहसीलदार मावली को सात दिवस में कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया जिस पर तहसीलदार मावली द्वारा कार्यालय पत्र क्रमांक रीडर/सर्तकता/2014/687 दिनांक 30.12.2014 श्रीमान् जिला कलेक्टर उदयपुर को प्रेषित कर प्रकरण में मार्गदर्शन प्रदान करने का निवेदन किया। उक्त पत्र के क्रम में श्रीमान् जिला कलेक्टर सर्तकता उदयपुर द्वारा कार्यालय पत्र क्रमांक सर्तकता/वी.पी.जी./2014/492 दिनांक 22.04.2016 द्वारा तहसीलदार मावली को डिक्री की पालना हेतु उपखण्ड न्यायालय से आदेश प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने अथवा पुनः धारा 175, 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् सक्षम न्यायालय में पेश करने का निर्देश के साथ प्रेषित किया। जिस पर मुझ विपक्षी सं. 3 द्वारा तहसील कार्यालय से सम्पर्क कर जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि श्रीमान् तहसीलदार मावली द्वारा माननीय आप न्यायालय उप जिला कलेक्टर मावली जिला उदयपुर में दिनांक 10.08.2016 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175, 177 आर.टी.एक्ट के तहत् प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण सं. 184/16 प्रार्थना पत्र सरकार बनाम धना वगैराह है जिससे उक्त प्रकरण की जानकारी प्राप्त हुई। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा उक्त आराजीयात को बिलानाम सरकार कराई जावें।

7. अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी राज्य सरकार तहसीलदार का कथित वाद पत्र स्वीकार फरमाते हुए विपक्षीगण सं. 1 धना पिता परथा बलाई का नाम उक्त आराजी से हटाकर राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजीयात बिलानाम दर्ज कराई जाने का आदेश बक्षाया जावें।
8. वादी द्वारा दस्तावेज जमाबन्दी नकल प्रदर्श 1, मौके पर्चे की नकल प्रदर्श 2 पेश की। प्रतिवादी द्वारा दस्तावेज बिकावनामा प्रदर्श डी 1 पेश किया।
9. वादी राजपेरोकार द्वारा वाद के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्री चिरंजीलाल शर्मा तहसीलदार मावली का शपथ पत्र पेश किया। साक्ष्य प्रतिवादी डी.डब्ल्यू 1 श्री लोगर का शपथ पत्र पेश किया।

10. प्रकरण में प्रतिवादी सं. 1 का जवाब बन्द होने एवं नम्बर 2 अनुपस्थित रहने पर एक तरफा कार्यवाही होने से तथा प्रतिवादी सं. 3 द्वारा सहमति का जवाब होने से तनकी कायम नहीं की गई। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

11. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी राजपेरोकार व प्रतिवादी सं. 3 की बहस सुनी गई। वादी व प्रतिवादी सं. 3 दोनों ने प्रकरण में वादग्रस्त भूमि को बिलानाम दर्ज कराने का निवेदन किया हैं। अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रकरण को मेरिट पर निस्तारण करने का निवेदन किया।

12. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। वादग्रस्त आराजीयात वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज हैं। वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अनरजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रदर्श डी 1 के आधार पर प्रतिवादी सं. 2 को विक्रय कर कब्जा सिपूर्द कर दिया हैं। प्रतिवादी सं. 1 बलाई होकर अनुसूचित जाति का व्यक्ति हैं जबकि प्रतिवादी सं. 2 डांगी होकर गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं। अतः ऐसा होने वाला विक्रय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42बी के विरूद्व होकर अवैध हस्तान्तरण हैं। जिसके तहत् पूर्व में भी उपखण्ड कार्यालय वल्लभनगर से प्रकरण सं. 28/69 में निर्णय दिनांक 29.04.69 से भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज करने के आदेश पारित किये जा चुके हैं। जिसकी अपील प्रतिवादी सं. 2 सवा द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी के यहां दर्ज कराई गई। जिसके प्रकरण सं. 176/69 होकर दिनांक 23.06.70 को अपीलान्ट की अपील न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई हैं जिसके विरूद्व द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के यहां दिनांक 14.10.1970 को करना बताया। जिसके प्रकरण सं. 76/71/अपील/टी.ए. हैं जो दिनांक 07.02.74 को अपीलान्ट के अनुपस्थित रहने पर अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज कर दी गई। चूंकि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं जवाब दावा के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 धन्ना पिता परथा बलाई के नाम दर्ज हैं एवं मौके पर सवा पिता भगा डांगी का कब्जा होना जाहिर आया हैं जो भू. अ. निरीक्षक खेमली द्वारा प्रस्तुत मौका पर्चा प्रदर्श 2 से सिद्व होता हैं। चूंकि वादग्रस्त भूमि का खातेदार धन्ना पिता परथा बलाई होकर अनुसूचित जाति का व्यक्ति हैं जिसने उक्त भूमि को अनरजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्रतिवादी सं. 2 सवा पिता भगा डांगी को विक्रय कर कब्जा सौंपा हैं जबकि प्रतिवादी सं. 2 गैर अनुसूचित जाति का

व्यक्ति हैं एवं ऐसा होने वाला विक्रय हस्तान्तरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42बी के विरूद्व होकर अवैध हस्तान्तरण हैं। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण भूमि पर कब्जा रखने का पात्र नहीं होने से भूमि से बेदखल कर भूमि को बिलानाम सरकार किया जाना न्यायहित में उचित हैं। चूंकि पूर्व में भी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर से प्रकरण में विपक्षीगणों को बेदखल करते हुए राज्य सरकार के पक्ष में बिलानाम दर्ज करने के आदेश पारित हुए हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: **आदेश** :–

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 175, 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा बिकरणी पटवार हल्का विजनवास की आराजी नम्बर 1327 से 1331, 1333 से 1336 किता 9 रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किया जावें एवं खातेदार धन्ना पिता परथा बलाई का नाम हटाया जाकर प्रतिवादीगण को भूमि से बेदखल किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हों। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

(जितेन्द्र ओझा)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास जितेन्द्र ओझा, आर.ए.एस.

उनवान्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

......वादी

बनाम्

1. श्री धन्ना पिता परथा बलाई निवासी बिकरणी तह. मावली।
2. श्री सवा पिता भगा डांगी निवासी बिकरणी तह. मावली।
3. श्री लोगर लाल पिता नारू डांगी निवासी बिकरणी तह. मावली।

...............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 175, 177 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 184/16 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु जितेन्द्र ओझा R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 175, 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा बिकरणी पटवार हल्का विजनवास की आराजी नम्बर 1327 से 1331, 1333 से 1336 किता 9 रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किया जावें एवं खातेदार धन्ना पिता परथा बलाई का नाम हटाया जाकर प्रतिवादीगण को भूमि से बेदखल किया जाने का आदेश दिया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 20.04.2018 को जारी की गई।

(जितेन्द्र ओझा)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली